

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 08, बुधवार, शके 1947- जनवरी 28, 2026 Magha 08, Wednesday, Saka 1947- January 28, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, January 05, 2026

G.S.R.135 .-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 266.-In rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, the existing clause (5) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

“(5) Class IV (100% by direct recruitment)	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination.”
---	--

3. Amendment of Schedule-I.-In Schedule-I of Chapter-XII of the said rules, the existing entry in column number 5 against serial number 7 shall be substituted by the following, namely:-

“Secondary from a recognised Board or its equivalent examination.”

[NO.F.4(19)Rule/Amend/ Legal/PR/2025/01]

By order of the Governor,
Bharat Bhushan Goyal,
Deputy Secretary to the Government.

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)**

अधिसूचना
जयपुर, जनवरी 05, 2026

जी.एस.आर.135 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 266 का संशोधन.-राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 266 में, विद्यमान खंड (5) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) चतुर्थ श्रेणी
(100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।”

3. अनुसूची-1 का संशोधन.-उक्त नियमों के अध्याय-12 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा।”

[सं.एफ.4(19)नियम/संशो/विधि/पंरा/2025/01]

राज्यपाल के आदेश से,

भारत भूषण गोयल,
उप शासन सचिव।